To be issued in Hindi
RTI MATTER
By speed post

No. 18012/01/2014-K-I
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Department of J&K Affairs))

North Block, New Delhi
Dated 23 July' 2014.

To

Shri Paban Tiwari, Advocate,
Agarwal Mandi Tateri,
Dist-Bagpat – 250601,
Uttar Pradesh.

Subject: Application under the RTI Act-2005.

Sir,

Please refer to your application dated 02.06.2014 seeking information about Article 370, as transferred by Under Secretary & CPIO, RTI Cell, MHA vide their letter No.A-43020/01/2014-RTI dated 07.07.2014. The application has been received in this Division on 16.07.2014

With regard to point no.11, it is informed that as per the records available in this Division no such proposal regarding repealing of Article 370 of the Constitution of India is under consideration of this Ministry at present.

04. The Appellate Authority in this case is Shri R. K. Srivastava, Joint Secretary (MHA), Room No.127 A, North Block, New Delhi.

Yours faithfully,

(S C Karol)
Director (K-III) & CPIO
Telefax : 011-2309 3301

Copy to :

1. Under Secretary (RTI), MHA, N.D.
2. Section Officer, IT Cell, MHA-for uploading the application and reply on the website as per the guidelines of DoPT.

आर टी आई मामला

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. 18012/01/2014-के-I

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 27 जुलाई, 2014

सेवा में

श्री पवन तिवारी, अधिवक्ता,
अग्रवाल मंडी टेहरी,
जिला बागपत-250601,
उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन।

महोदय,

कृपया अनुच्छेद 370 के बारे में सूचना प्राप्त करने संबंधी अपने दिनांक 02.06.2014 के आवेदन का अवलोकन करें जो अवर सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, आर टी आई सैल, गृह मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 07.07.2014 के पत्र सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के तहत अंतरित किया गया है। उक्त आवेदन इस प्रभाग में दिनांक 16.07.2014 को प्राप्त हुआ है।

02. बिंदु सं. 11 के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इस प्रभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

03. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय), कक्ष सं. 127 ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली हैं।

भवदीय,

27/7/14

(एस. सी. करोल)
निदेशक (के-III) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
टेलीफैक्स:011-23093301

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. अनुभाग अधिकारी, आर टी आई सैल, गृह मंत्रालय को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त आवेदन तथा उसके उत्तर को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

C.R. 309691/Dir(H)
15/7/2014
(SD)

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 07/07/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ पवन तिवारी एडवोकेट का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ पवन तिवारी एडवोकेट के दिनांक: 02/06/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में [illegible] से अंतरण द्वारा दिनांक: 04/07/2014 को प्राप्त) को [illegible] प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक....../....../2014 की रसीद सं.............................के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (के.-III)

नार्थ ब्लॉक

नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ पवन तिवारी एडवोकेट

[illegible] कचहरी

मेरठ-उत्तर प्रदेश - 250001 (उ0प्र0)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

Sh [illegible]
[illegible] 816, K.I
dated: 10.7.14

DFA pl.
अवर सचिव (के-1)
15/7/14

[illegible]
16/7/14
20(14)012

4634/RTI/MHA/2014
4/7/2014

सं 6 (38)/2014-आर.टी.आई.
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
आर.टी.आई. कक्ष

49

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 30 जून, 2014

सेवा में,

श्री पवन तिवारी, एडवोकेट
अग्रवाल मंडी टटीरी,
जिला बागपत–250601.
उत्तर प्रदेश.

RTI

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना ।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 02.06.2014 के आर.टी.आई. आवेदन का संदर्भ लें जो मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से इस विभाग में 17.06.2014 को प्राप्त हुआ था । आपके आवेदन के पॉइंट सं. 8 से 10 के संबंध में सूचित किया जाता है कि अपेक्षित सूचना भारत का निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध हो सकती है। आपके आवेदन के पॉइंट सं. 11 के संबंध में सूचित किया जाता है कि अपेक्षित सूचना गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध हो सकती है क्योंकि अनुच्छेद 370 उस मंत्रालय से संबंधित है। अतः उक्त पॉइटस के संबंध में अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया भारत निर्वाचन आयोग तथा गृह मंत्रालय से संपर्क करें ।

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
04 JUL 2014
के.र.सं. 302673
C.R. No.
सी.आर. अनु.

भवदीय

(एस. के. चिटकारा)
उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

नोट- प्रथम अपील, यदि कोई हो, के लिए श्री पी.बी. सिंह, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शी, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, कमरा संख्या 416 'ए' विंग चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं ।

DS(K-III)

प्रतिलिपि प्रेषितः–1.सी पी आई ओ, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली को आर टी आई आवेदन की प्रति सहित, आवेदक को सीधे सूचना भेजने हेतु।

2. सी पी आई ओ, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को आर टी आई आवेदन की प्रति सहित, आवेदक को सीधे सूचना भेजने हेतु।

ED-367593238IN-13/6/14

सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी मामला

सं0: एफ–12015/384/2014–आरटीआई
भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली–110004

दिनांक 11 जून, 2014

श्री पवन तिवारी, एडवोकेट,
अग्रवाल मण्डी टटीरी,
जिला बागपत –250601
उत्तर प्रदेश

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 02.06.2014 (प्राप्त हुआ 09.06.2014) के आवेदन का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपने प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिमण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में व्यय की गई धनराशि एवं अन्य संबंधित जानकारी चाही है।

2. मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय उचित लोक प्राधिकरण नहीं है। तथापि बिंदुवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

बिंदु	ब्यौरा
1 से 4	आपके आवेदन को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रपति सचिवालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है।
5	आपके आवेदन को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिये संसदीय कार्य मंत्रालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है।
6	आपके आवेदन को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिये गृह मंत्रालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है।
7	आपके आवेदन को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिये न्याय विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है।
8,9,10 व 11	आपके आवेदन को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिये विधायी विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है।
12 व 13	आपके द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत परिभाषित सूचना के अंतर्गत नहीं आती है।
14 व 15	आपके आवेदन को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिये रेल मंत्रालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है।
16	आपके आवेदन को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है।

3. सुश्री संयुक्ता राय, निदेशक, मंत्रिमण्डल सचिवालय सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं।

भवदीय,
एस० के० वैलियाथन

(एस0के0 वैलियाथन)
अवर सचिव व केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी
दूरभाष: 2301 9170

17 ... 916

.....2/-

48

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को पैरा 2 में उल्लिखित कार्यवाही हेतु प्रेषित–

राष्ट्रपति सचिवालय
(श्री सौरभ विजय, केंद्रीय लोकसूचना अधिकारी)
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
(बिंदु सं0: 1 से 4 के लिये)

संसदीय कार्य मंत्रालय,
(श्री रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव एवं कें0लो0सू0अ0),
92, संसद भवन, नई दिल्ली–110001
(बिंदु सं0: 5 के लिये)

गृह मंत्रालय
(श्री आशुतोष जैन,निदेशक (सी0एस0–II)
एवं कें0लो0सू0अधि0,
एन0डी0सी0सी0– II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली
(बिंदु सं0: 6 के लिये)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
न्याय विभाग (आरटीआई सेल)
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
(बिंदु सं0: 7 के लिये)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
विधायी विभाग (आरटीआई सेल)
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
(बिंदु सं0: 8,9,10 व 11 के लिये)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
रेल मंत्रालय,
रेल भवन, नई दिल्ली
(बिंदु सं0: 14 व 15 के लिये)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(श्री वी0 कृष्णास्वामी, निदेशक (आरटीआई) व
नोडल अधिकारी)
कमरा सं0: 135ए, ट्रांस्पोर्ट भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली
(बिंदु सं0: 16 के लिये)

(एस0के0 वैलियाथन)
अवर सचिव व केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

पवन तिवारी

एडवोकेट
एम0ए0,बी0एड0,एल0एल0बी0,टी0ई0एम0
सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर0टी0आई0 विशेषज्ञ
जिला महामंत्री युवा प्रकोष्ठ
अखिल भारतवर्षीय ब्राहमण महासभा
जिला बागपत (उ0प्र0)
उपाध्यक्ष–श्री अमरनाथ सेवा समिति (रजि0)
अग्रवाल मण्डी टटीरी जिला बागपत (उ0प्र0)

निवास – अग्रवाल मण्डी टटीरी
जिला बागपत (उ0प्र0)
पिन कोड– 250601
कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायालय,
परिसर बागपत,
उ0प्र0–250609
मोबाईल नं0– 09058860009

47

पत्रांक :– 60 / 2014 दिनांक :–02.06.2014

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / मंत्री मण्डल सचिव,

भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 110001 भारत।

विषय :– "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" की धारा 6 (1) क के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र एवं धारा 6 (3) के प्राविधानो में अर्न्तनिहित

श्रीमानजी,

निवेदन यह है कि आवेदक को उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 सपठित धारा 3 एवं 4 के प्राविधानो के अनुसार नीचे लिखे बिन्दुओ पर सूचना उपलब्ध करायें। सूचना न देने या विलम्ब से देने की स्थिति में हुई अपील/परिवाद/वाद व्यय के हर्जे–खर्चे की पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा सक्षम न्यायालय द्वारा कठोर कानूनी कार्यवाही आपके विरूद्व अमल में लायी जायेगीं।

सूचना शुल्क – अंकन 10/– रू0 भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 17 एफ– 911829 साथ में सलंग्न है।

महत्वपूर्ण :– श्रीमान जी यदि प्रार्थी द्वारा मॉगी गयी सूचनाये किसी अन्य विभाग या अधिकारी द्वारा धारित है तो कृपया प्रार्थी का यह सूचना आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) द्वितीय के परन्तुक के अनुसार सूचना आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस के अन्दर सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को प्रेषित कर दे।

सूचना बिन्दु :–

1. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया? सूचना प्रदान करें।

2. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया?वह किस मद से किया गया सूचना प्रदान करें।

3. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया?वह किसके आदेशो पर किया गया है? सम्बन्धित आदेशो की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 (ज) द्वितीय सपठित धारा 3 व 4 के अन्तर्गत प्रदान करें।

In CPIO Sec.
09/06/14

4. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया?वह किसकी सलाह, मत के आधार पर किया गया है, सूचना प्रदान करें।

5. यह कि क्या लोक सभा सदस्य तथा विधान सभा सदस्य पद के निर्वाचन हेतु क्या संसद द्वारा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय, मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

6. यह कि क्या पश्चिमी उ0प्र0 को अलग राज्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल मे विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

7. यह कि क्या पश्चिमी उ0प्र0 में हाईकोर्ट बैंच स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

8. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी? सूचना प्रदान करें।

9. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल जितनी धनराशि खर्च की गयी, वह किस–किस प्रकार की गयी? सूचना प्रदान करें।

10. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल कितनी धनराशि खर्च करने हेतु किस–किस गैर सरकारी संगठन को दी गयी तथा कितनी–कितनी दी गयी? सूचना प्रदान करें।

11. यह कि क्या अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान को निरस्त करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

12. यह कि क्या उ0प्र0 में अयोध्या में श्रीराम मन्दिर स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

13. यह कि क्या न्यायालय विधि का निर्माण कर सकता है? सूचना प्रदान करें।

14. यह कि क्या दिल्ली–सहारनपुर वाया शामली रेलवे लाईन को डबल करने का प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है? सूचना प्रदान करें।

15. यह कि दिल्ली–शामली रेलवे मार्ग से पिछले 5 वित्तीय वर्षों में भारतीय रेलवे को घाटा हुआ या मुनाफा हुआ? सूचना प्रदान करें।

16. यह कि कस्बा अग्रवाल मण्डी टटीरी में मेरठ--बागपत हाईवे रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरगामी सेतु बनाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है? सूचना प्रदान करें।

प्रार्थी

POSTAGE STAMP

लोकाधिकारी, मंत्रिमण्डल
सचिवालय, राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली

पवन तिवारी एडवोकेट
ग्रा०- आगनाल गोसाईंपुर
तहसील- बांगरमऊ(उन्नाव)

POSTMASTER

17F 911829

Pawan Tiwari
Advocate
Reg No-10299/10